न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 21 / 2022

प्रार्थीगण

स्वर्गीय श्री लादुसिंह पुत्र परबतसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी–सगालिया, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही के कायम मुकाम वारिसान :–

1. कैलाश कुंवर पत्नी लादुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– सगालिया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
2. महिपाल सिंह पुत्र लादुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– सगालिया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
3. खुशपाल सिंह पुत्र लादुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– सगालिया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, अन्दौर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, अन्दौर, जिला–सिरोही
2. उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालिया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही जरिये खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिवगंज, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, प्रार्थीगण की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार, अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 28 मई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही के पक्ष में क्षेत्रफल 4800 वर्गफीट अर्थात् 533.33 वर्गगज भूमि का जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 31–3–2022 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये। इस निगरानी प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी निगरानीकार लादूसिंह पुत्र परबतसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– सगालिया की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी निगरानीकार लादूसिंह पुत्र परबतसिंह जी के कायम मुकाम वारिसान (प्रार्थी संख्या 1 से 3) द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2024 के द्वारा प्रार्थी संख्या 1 से 3 को इस प्रकरण में रेकर्ड पर लिया जाकर पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये। तद्नुसार सशोधित अनवान शीर्षक प्रस्तुत हुआ। प्रकरण की सुनवाई के दौरान, प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 26–5–2025 को बहस सुनी ई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुराणा ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत अन्दौर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालिया) के हक में पटटा सख्या 01 दिनांक 31.3.2022 को 4800 वर्गफीट नाप की भूमि का जारी करने में गम्भीर कानूनी एंव तथ्यात्मक त्रुटी की है। ग्राम पंचायत, अन्दोर ने उक्त पटटा जारी करने के पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानो एवं नियमो की पूर्णतया अनदेखी कर यह पट्‌टा जारी किया है जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त के है। ग्राम पचांयत, अन्दौर ने प्रश्नगत पट्‌टा जारी करने के पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया है। ग्राम पंचायत, अन्दौर ने गुपचुप तरीक से उप स्वास्थ्य केन्द्र, अन्दौर के हक में आलौच्य पटटा जारी किया है। ग्राम पंचायत, अन्दौर ने विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना पट्‌टा जारी किया है जो काबिल खारीज के है। ग्राम पंचायत, अन्दौर ने प्रश्नगत पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में निः शुल्क जारी करना दर्शाया है। ग्राम पंचायत, अन्दौर को राजस्थान पचायती राज अधिनियम के नियम 158 के अन्तर्गत निःशुल्क पटटा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्नगत तथाकथित पटटा संख्या 01 में वर्णित भूमि प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व की भूमि है। ग्राम सगालीया, ग्राम पंचायत अन्दौर के अन्तर्गत आता है। ग्राम पंचायत अन्दौर ने प्राथी के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व की वाके ग्राम सगालीया की भूमि का पट्‌टा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया के हक में जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रश्नगत भूमि ग्राम पचायत, अन्दौर के कब्जे स्वामित्व की भूमि नही है। वरन उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि है। प्रार्थी के उक्त कब्जे स्वामित्व की भूमि की चतुदर्शी उतर दिशा में मादाराम पुत्र देवाजी रेबारी का मकान, दक्षिण दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, पूर्व दिशा में मोतीगिरी पुत्र शंकरगिरीजी का मकान व पश्चिम दिशा में सामुदायिक भवन है व भूखण्ड़ का कुल नाप क्षेत्रफल 4497.6 वर्गफीट है। उपरोक्त वर्णित भूमि चारो तरफ से काटो की बाढ से घिरी हुई एवं उक्त भूमि में प्रार्थी की जलाउ लकडीया, गोबर, पत्थर व अन्य अनुपयोगी सामग्री पडी हुई है। उक्त भूमि में प्रवेश करने हेतु प्राथी ने लोहे का दरवाजा लगवाया है। उक्त दरवाजे होकर प्रार्थी उसके भुखण्ड मे आता जाता रहता है एवं उक्त भुखण्ड का उपयोग व उपभोग बतौर स्वामी गत 40 वर्षों से अधिक समय से करता आ रहा है। ग्राम पंचायत, अन्दौर ने इस बात पर गौर नही किया की प्रश्नगत सम्पति प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व की आबादी भूमि है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर 40 वर्षों से अधिक समय से कब्जा आधिपत्य है। उक्त सम्पति का उपयोग व उपभोग प्रार्थी, ग्राम पंचायत अन्दौर व आम जन की जानकारी में खुले आम करता आ रहा है। प्राथी ने उक्त भुखण्ड पर एक कमरे का निर्माण करवाया है। प्रार्थी उक्त सम्पति का उपयोग व उपभोग बतौर स्वामी करता आ रहा है। प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत अन्दोर के स्वामित्व की भूमि नही है, जिससे ग्राम पंचायत, अन्दौर को प्रश्नगत भूमि का आलौच्य पटटा संख्या 1 दिनांक 31.3.2022 को जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, अन्दौर ने इस बाबत पर गौर नही किया कि प्रार्थी ने उसके कब्जे भोगवटे के उपरोक्त वर्णित आबादी भूमि का पट्‌टा बनवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पचांयत, अन्दौर में दिनांक 10—5—1999 को आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का उक्त आवेदन आज भी विचाराधीन है। ग्राम पंचायत, अन्दौर ने प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व एव मालकी के उपरोक्त वर्णित भुखण्ड का पटटा प्रार्थी के हक में जारी नही किये जाने पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, अन्दौर के विरुद्ध पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पचायंती राज अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसके पंचायत निगरानी संख्या 90/2017 है। प्रार्थी की उक्त निगरानी दिनांक 09—3—2018 को स्वीकार की गई थी तथा इस न्यायालय ने ग्राम पचायत अन्दौर की ग्राम पचायत, अन्दौर ग्राम सभा दिनांक 11—2—2017 मे पारित प्रस्ताव संख्या 3 बी को निरस्त कर प्रकरण ग्राम पचायत, अन्दौर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुये ग्राम पंचायत अपने स्तर पर

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे, लेकिन ग्राम पंचायत, अन्दौर ने आज तक इस न्यायालय के आदेश की पालना नही की है एवं ग्राम पंचायत, अन्दौर ने अवैध रुप से प्रश्नगत पट्टा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया के हक में जारी किया है। ग्राम पंचायत अन्दोर ने पटटा जारी करने के पूर्व इस बात पर गौर नही किया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के कब्जे आधिपत्य की भूमि है। उक्त पटटा जारी करने के पूर्व ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया। प्राथी ने आलौच्य पट्टा जारी करने के पूर्व ही ग्राम पंचायत, अन्दौर के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का वाद वरिष्ठ सिविल न्यायालय, शिवंगज में प्रस्तुत किया है, जिसकी वाद संख्या 27 / 2021 है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते ग्राम पंचायत ने दिनांक 31.3.2022 को आलोच्य पट्टा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया के हक मे जारी कर कानूनी त्रुटी की है। प्रश्नगत भूमि के पडोसीयों के पट्टो की चतुदर्शी में प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के कब्जे भोगवटे की भूमि होने का तथ्य अंकित है, जिससे यह भली भाति प्रकट है कि प्रश्नगत भूमि पर प्राथी का पुराना कब्जा, भोगवटा एव मालिकाना हक अधिकार है। प्रार्थी की उक्त भूमि कांटो की बाड से घिरी हुई है। राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पचायत, अन्दौर को 4800 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही है। पट्टे में अंकित शर्त अनुसार भी ग्राम पंचायत को 150 वर्गगज भूमि से अधिक नाप की भूमि का पट्टा जारी करने का विधि मे कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, अन्दोर के उप सरपंच जितेन्द्रसिह जो ग्राम पंचायत का कार्य सरपंच की हैसियत से करते आ रहे है, ग्राम पंचायत के उप सरंपच प्रार्थी से रंजिश रखते है। प्रार्थी को रंजिश के कारण हैरान व परेशान करने हेतु आमदा रहते है। ग्राम पंचायत, अन्दौर के उप संरपच ने प्रार्थी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थी के कब्जे भोगवटे एवं स्वामित्व की भूमि का आलौच्य पट्टा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया के हक में जारी किया है जो विधि विरुद्ध तरीके से जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु विधि मे कोई अवधि नियत नही है अन्यथा भी अवैधानिक रुप से जारी किये गये पट्टो को निरस्त किये जाने हेतु विधि मे कोई समय सीमा नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 31–3–2022 को निरस्त किया जावे।

जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री परमार ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 मे प्रदत्त प्रावधानों का पालना करते हुए उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया के पक्ष मे विधि अनुरूप पट्टा जारी किया गया है. जिसमें ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नही की है। ग्राम पंचायत, अन्दौर ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानो व विधिक प्रक्रिया का पुर्ण रूप से पालन करते हुए उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुरूप है। ग्राम पंचायत, अन्दोर द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया के पक्ष मे निःशुल्क भुखण्ड आवंटन का पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुरूप है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा आंगनवाडी, औषधालय व विधालयों को भुमि का निःशुल्क आवंटन करने का प्रावधान है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 01 से संबंधित भुमि पर प्रार्थीगण या उनके पूर्व रसाधिकारी लादूसिंह जी का पुराना कब्जा नही है, बल्कि सही हकीकत यह है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भुमि ग्राम पंचायत, अन्दौर की आबादी भुमि है एवं ग्राम पंचायत, अन्दोर द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया के पक्ष में पंचायत की आबादी भुमि का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत विधि अनुसार निःशुल्क आवंटन किया गया है। प्रश्नगत पट्टे की भुमि प्रार्थी के पुराने कब्जे भोगवटे की भुमि नहीं है,

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... न्यायालय ... सिरोही

बल्कि सही हकीकत यह है कि प्रश्नगत भुमि ग्राम पंचायत, अन्दौर के स्वामित्व की आबादी भुमि है जिसका ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा उप स्वास्थय केन्द्र, सगालिया के पक्ष मे विधि अनुरूप पट्टा जारी किया गया है। प्रश्नगत भुमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे आधिपत्य की नही है, बल्कि हकीकत यह है कि प्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी लादूसिंह व प्रार्थीगण ने इस भुमि पर अतिक्रमण किया है, जिसके आधार पर प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा उप स्वास्थय केन्द्र, सगालिया के पक्ष में पंचायत की आबादी भुमि का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 मे प्रदत्त प्रावधानो व विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए विधि अनुरूप निःशुल्क आवंटन किया गया है। ग्राम पंचायत, अन्दौर ने उप स्वास्थ्य केन्द्र, सागलीया के पक्ष मे पट्टा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। प्रश्नगत भुमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा नहीं है, बल्कि सही हकीकत यह है ग्राम पंचायत अन्दौर द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया के ग्राम
पंचायत के स्वामित्व की आबादी भुमि का विधि अनुरूप निःशुल्क आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण व उनके पूर्व रसाधिकारी लादूसिंह जी ने प्रश्नगत भुमि पर अवैध अतिक्रमण किया है जिसके आधार पर प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार उक्त भुमि में पैदा नही होते है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भुमि का राजकीय औषधालयो, विधालयो, आंगनवाडी केन्द्रो को निःशुल्क आवंटन करने का प्रावधान है तथा प्रश्नगत पट्टे की भूमि ग्राम पंचायत अन्दौर के स्वामित्व की आबादी भूमि है एवं ग्राम पंचायत ने पंचायत की आबादी भूमि का उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया के पक्ष मे विधि अनुसार निःशुल्क आवंटन करते हुए पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा पंचायत के संकल्प संख्या 03 दिनांक 21–6–2021 के अनुसरण में उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही को क्षेत्रफल 4800 वर्गफीट अर्थात् 533.33 वर्गगज भूमि निःशुल्क आवंटन का पट्टा संख्या 01 दिनांक 31–3–2022 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162 (1)के अर्न्तगत, पंचायत, आबादी क्षेत्र के भीतर 500 वर्गगज तक की भूमियां, संबंधित जिला परिषद् द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्यधीन विद्यालय, औषधालय, आंगनबाडी केन्द्र को निःशुल्क आवंटन कर सकेगी।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में, ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या (3)(d) दिनांक 11–2–2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी ग्राम पंचायत, अन्दौर के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत निगरानी आवेदन एवं इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 90/2017 अनवान लादुसिंह बनाम ग्राम पंचायत, अन्दौर जरिये सरपंच व अन्य, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में पारित निर्णय दिनांक 09–3–2018 की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व की भूमि की चतुर्दशी में पूर्व दिशा में दरवाजा व रास्ता, पश्चिम में मेदाराम पुत्र देवाजी रेबारी का मकान, उत्तर में मोतीगिरी पुत्र शंकरगिरी का मकान व दक्षिण दिशा में सार्वजनिक भवन दर्शाया है। जबकि ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालीया के पक्ष में जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 01 दिनांक 31–3–2022 से संबंधित भूमि की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में मादाराम पुत्र देवाजी व सरुपाराम देवासी का मकान, पश्चिम में आम रास्ता व निकासी, पूर्व में

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

मोतीगिरी/शंकरगिरी गोस्वामी का प्लॉट व पश्चिम में सामुदायिक भवन दर्शाया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र, सगालिया के पक्ष में ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि प्रार्थीगण के तथाकथित पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की भूमि नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा उक्त पंचायत निगरानी संख्या 90/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09—3—2018 के द्वारा ग्राम पंचायत, अन्दौर को पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए ग्राम पंचायत अपने स्तर पर विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में अंकित कथन के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पति/पिता लादूसिंह जी द्वारा ग्राम पंचायत, अन्दौर के समक्ष अपना पक्ष लिखित में प्रस्तुत किया गया हो तथा ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा उनको सुनवाई का अवसर नही दिया गया हो। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में किसी व्यक्ति का कब्जा होने के आधार पर उस व्यक्ति को उस आबादी भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त नही होते है। कब्जे—स्वामित्व व हक अधिकारों को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही